उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 2018]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 जनवरी, 2018 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 जनवरी, 2018 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 5 जनवरी, 2018 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जनवरी, 2018 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय अधिनियमों को निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 कहा जायेगा ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2–इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते है ।

व्यावृत्ति

3–इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, ––

(क) ऐसा कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू किया गया हो, सम्मिलित किया गया हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व की अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धती, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ।

---

[1]. उद्देश्य और कारणों के विवरण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखे ।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जाने वाले अधिनियम

1—पुलिस आगरा अधिनियम, 1854 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1854)

2—दी मिर्जापुर स्टोन महाल ऐक्ट, 1886 (ऐक्ट संख्या 5 सन् 1886)

3—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 33 सन् 1980)

4—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1980)

5—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1993)

6—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1993)

7—उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1993)

8—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1996)

9—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1996)

10—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 32 सन् 1996)

11—उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1996)

12—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1997)

13—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 13 सन् 1997)

14—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 11 सन् 2002)

15—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2002)

———————

उद्देश्य और कारण

केन्द्रीय विधि आयोग तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित रामानुजम समिति की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान तथा स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान अधिसूचित, और अप्रचलित एवं अनुपयोगी हो चुके अधिनियमों को संबंधित प्रशासकीय विभागों से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के द्वितीय सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करके निरसित करने का विनिश्चय किया गया है ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पुरः स्थापित किया जाता है ।